| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सुरेश कुमार बनाम लो.सू.अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )<br><br>सू.अ.अ.अपील सं0 241/2023 ( ) | |
| 05.02.24 | अपीलार्थी सुरेश कुमार पुत्र मुकनाराम सरगरा, निवासी गांव खेड़ा सरेचा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.08...2023. में उसके द्वारा (1) जिला जन अभाव अभियोज एवं सतर्कता समिति जोधपुर दिनांक 07.07.2023/857 विषय न्याय हेतु जारी नोटिस के संबंध में–NCSC/ABAD/R/02/MISC-2023 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पर हुई जांच/कार्यवाही रिपोर्ट मय तथ्यात्मक टिप्पणी की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर द्वितीय जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1174 दिनांक 31.10...23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कार्यालय हाजा एवं सम्पर्क शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने के फलस्वरूप प्रार्थी के आवेदन पत्र की छाया प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा से अभी तक अपेक्षित होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।<br>चूकि प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कार्यालय हाजा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने से प्रार्थी को सूचना प्राप्त नहीं की गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:13:38 IST
Reason: SelfAttested